अनुदान संख्या 47 – आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग (आयुष)

GRANT No. 47–DEPARTMENT OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	563,88,00		563,90,00	463,49,68	–100,40,32
पूरक	Supplementary	2,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					91,74,98

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2210" चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	Major Head "2210" Medical and Public Health				
मू.	O.	50961.00	46598.54	45759.54	–839.00
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	–4364.46			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रा	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	4880.00	..	..	..
पु.	R.	–4880.00			

(I) 9555.00 लाख रु. का प्रावधान चौदह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 9405.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2210'' - ''शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - चिकित्सा की अन्य पद्धतियां'' -

(क) ''निदेशन और प्रशासन - पाठ्य पुस्तकों और पांडुलिपियों का अधिग्रहण और प्रकाशन'' - 125.00 लाख रु. इस स्कीम का विलय अंकीकरण स्कीम के साथ किए जाने के कारण थे।

(ख) ''आयुर्वेद - दिल्ली में राष्ट्रीय आयुर्वेदिक अस्पताल'' - 1000.00 लाख रु. केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्कीम को विलंब से अनुमोदन प्रदान किए जाने के कारण थे।

(ग) ''अन्य पद्धतियां'' -

(i) ''कार्यशालाओं / संगोष्ठियों / सम्मेलनों / प्रदर्शनियों / व्यापार मेलों / नुक्कड़ नाटकों आदि सहित आयुष के संवर्धन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यकलापों के लिए सहायता'' - 200.00 लाख रु;

(ii) ''आयुष उद्योग समूहों के लिए सामान्य सुविधाओं का विकास'' - 2700.00 लाख रु.; और

(iii) ''वर्तमान आयुष अस्पतालों में विशिष्ट चिकित्सालयों/आईपीडी स्थापित करने के लिए आयुष अस्पताल एवं औषधालय सरकारी-निजी भागीदारी स्कीम में अतिरिक्त संघटक'' - 500.00 लाख रु.।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान नई स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने/अनुमोदन में विलंब होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2552'' -

(क) ''शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - चिकित्सा की अन्य पद्धतियां - अन्य पद्धतियां'' -

(i) ''चिकित्सीय पौधों के लिए राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना'' - 1480.00 लाख रु.;

(I) Provision of Rs.9555.00 lakhs remained wholly unutilised under fourteen heads; of these Rs.9405.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2210" - "Urban Health Services – Other Systems of Medicines" –

(a) "Direction and Administration – Acquisition and Publication of Text Books & Manuscripts" – Rs.125.00 lakhs – due to merger of the scheme with Digitisation scheme.

(b) "Ayurveda – National Ayurvedic Hospital (AIIA) in Delhi" – Rs.1000.00 lakhs – due to delayed approval of the scheme by the Union Cabinet.

(c) "Other Systems" -

(i) "Assistance for International Co-operation activities for promotion of AYUSH including Workshops/Seminars/Conferences/Exhibitions/Trade Fairs/Roadshows etc." – Rs.200.00 lakhs;

(ii) "Development of common facilities for AYUSH industry clusters" – Rs.2700.00 lakhs; and

(iii) "Additional component in AYUSH Hospitals & Dispensaries Scheme for public-private partnership for setting up of speciality clinics/IPDs in existing AYUSH Hospitals" – Rs.500.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilised due to non-approval/delay in approval of the new scheme.

(B) Major Head "2552" –

(a) "Urban Health Services - Other Systems of Medicines – Other Systems" -

(i) "Setting up of National Board for Medicinal Plants" – Rs.1480.00 lakhs;

(ii) ''आयुष अस्पतालों के लिए स्कीम'' - 650.00 लाख रु.;

(iii) ''आयुष औषधालयों के लिए स्कीम'' - 550.00 लाख रु.।

(ख) ''चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - अन्य पद्धतियां - आयुष/लोक चिकित्सा के पूर्वोत्तर क्षेत्रीय संस्थान'' - 1500.00 लाख रु.;

(ग) ''चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - आयुर्वेद'' -

(i) ''आयुष संस्थाओं/कालेजों का विकास और उन्नयन'' - 500.00 लाख रु.; और

(ii) ''आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथिक औषधियों का गुणवत्ता नियंत्राण'' - 200.00 लाख रु.।

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष ''2210'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - चिकित्सा की अन्य पद्धतियां'' -

(क) ''आयुर्वेद - केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा आयुर्वेद अस्पताल'' - 124.29 लाख रु. की बचत (210.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(ख) ''अन्य पद्धतियां'' -

(i) ''राष्ट्रीय चिकित्सीय पादप बोर्ड की स्थापना'' - 1505.28 लाख रु. की बचत (6520.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 11वीं पंचवर्षीय योजना स्कीम के अनुमोदन में विलंब होने के कारण हुई।

(ii) "Scheme for AYUSH Hospitals" – Rs.650.00 lakhs;

(iii) "Scheme for AYUSH Dispensaries" – Rs.550.00 lakhs.

(b) "Medical Education, Training & Research – Other Systems- North Eastern Regional Institutes of AYUSH/Folk Medicine" – Rs.1500.00 lakhs;

(c) "Medical Education, Training & Research – Ayurveda" –

(i) "Development and upgradation of AYUSH Institutions/Colleges" – Rs.500.00 lakhs; and

(ii) "Quality Control of ASU&H Drugs" – Rs.200.00 lakhs.

Provisions under the above six heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2210" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Urban Health Services – Other Systems of Medicines" -

(b) "Ayurveda – CGHS Ayurveda Hospital" – saving of Rs.124.29 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.210.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(c) "Other Systems" -

(i) "Setting up of National Board for Medicinal Plants" – saving of Rs.1505.28 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6520.00 lakhs) was due to delay in approval of 11th Five Year Plan Scheme.

(ii) ''आयुष औषधालयों के लिए स्कीम'' - 1526.95 लाख रु. की बचत (4590.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाण-पत्रा प्राप्त न होने के कारण हुई।

(iii) ''स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं/दाई परंपरा/हड्डी बिठाने वालों/पशुचिकित्सीय देखभाल आदि को फिर से स्थापित करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को निधीयन'' - 445.82 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(iv) ''आयुष और लोक स्वास्थ्य'' - 131.58 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें नई स्कीम के अनुमोदन प्रदान किए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(खा) ''चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान'' -

(क) ''आयुर्वेद - राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर को अनुदान'' - 562.00 लाख रु. की बचत (2292.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ख) ''होम्योपैथी - राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता को अनुदान'' - 263.83 लाख रु. की बचत (2050.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, अन्य पिछड़ा वर्ग कार्यक्रमों को लागू न किए जाने और लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्रों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ग) ''यूनानी - राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बंगलौर को अनुदान'' - 461.85 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(घ) ''अन्य पद्धतियां'' -

(ii) "Scheme for AYUSH Dispensaries" – saving of Rs.1526.95 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4950.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificates from State Governments.

(iii) "Funding of NGOs for revitalization of local health traditions/midwifery practices/ bone setters/veterinary care etc." – saving of Rs.445.82 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs); and

(iv) "Ayush & Public Health" – saving of Rs.131.58 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to delay in approval of the new scheme.

(B) "Medical Education, Training & Research" -

(a) "Ayurveda – Grants to National Institute of Ayurveda, Jaipur" – saving of Rs.562.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2292.00 lakhs) was due to non-finalisation of construction work by Central Public Works Department.

(b) "Homoeopathy – Grants to National Institute of Homoeopathy, Kolkata" – saving of Rs.263.83 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2050.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-implementation of Other Backward Class programmes and non-receipt of audit certificates.

(c) "Unani – Grants to National Institute of Unani Medicine, Bangalore" – saving of Rs.461.85 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs); and

(d) "Other Systems" -

(i) ''राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, तमिलनाडु को अनुदान'' - 200.00 लाख रु. की बचत (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें संस्थान के पास पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(ii) ''मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान'' - 160.41 लाख रु. की बचत (517.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और उपस्करों की अधिप्राप्ति में विलंब होने के कारण हुई।

(iii) ''आयुष शिक्षा/औषध विकास एवं अनुसंधान/नैदानिक अनुसंधान/लोक चिकित्सा आदि में संलग्न गैर-सरकारी/निजी क्षेत्रा के प्रत्यायित आयुष उत्कृष्टता केंद्रों को सहायता'' - 400.00 लाख रु. की बचत (700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नई स्कीमों को अनुमोदन प्रदान किए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(III) आठ शीर्षों के अंतर्गत 652.63 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत से 84 प्रतिशत तक थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (1212.12 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मार्च, 2008 में मुख्य शीर्ष ''2210'' - ''चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान'' के निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत 2.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) ''आयुर्वेद - केंद्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद को अनुदान'' - 552.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 525.92 लाख रु. था।

(खा) ''होम्योपैथी - केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद को अनुदान'' - 160.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक

(i) "Grants to National Institute of Siddha, Tamil Nadu" – saving of Rs.200.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.800.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to availability of unspent balance with the Institute.

(ii) "Morarji Desai National Institute of Yoga" – saving of Rs.160.41 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.517.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and delay in procurement of equipments.

(iii) "Assistance to accredited AYUSH Centres of Excellence in non-governmental/Private Sector engaged in AYUSH Education/Drug Development & Research/Clinical Research/ Folk Medicine etc." – saving of Rs.400.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.700.00 lakhs) was due to delay in approval of new schemes.

(III) Under eight heads savings of Rs.652.63 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 12 percent to 84 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.1212.12 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.2.00 lakhs in March, 2008 under Major Head "2210" – "Medical Education, Training and Research" - under the following heads:-

(A) "Ayurveda - Grants to Central Council for Research in Ayurveda & Siddha" – Rs.552.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.525.92 lakhs.

(B) "Homoeopathy – Grants to Central Council for Research in Homoeopathy" – Rs.160.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.146.04 lakhs.

व्यय 146.04 लाख रु. था।

(गा) "यूनानी - केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद को अनुदान'' - 500.12 लाख रु.।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2210'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - अन्य चिकित्सा पद्धतियां - अन्य पद्धतियां - आयुष अस्पतालों के लिए स्कीम'' - 3604.63 लाख रु. का अधिक व्यय (5850.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(खा) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान'' -

(क) "आयुर्वेद'' -

(i) "आयुष औषधियों का गुणवत्ता नियंत्राण'' - 790.02 लाख रु. का अधिक व्यय (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और प्रस्तावों के बड़ी संख्या में प्राप्त होने, स्कीम के फ्लैगशिप स्कीम होने के कारण हुआ।

(ii) "आयुष संस्थाओं/कालेजों का विकास और उन्नयन'' - 136.96 लाख रु. का अधिक व्यय (4200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(गा) "अन्य पद्धतियां - पूर्वोत्तर क्षेत्रीय आयुष संस्थान'' - 300.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 100.00 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 100 प्रतिशत था।

(C) "Unani – Grants to Central Council for Research in Unani Medicine" – Rs.500.12 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2210" – under the following heads:-

(A) "Urban Health Services – Other Systems of Medicines – Other Systems – Scheme for AYUSH Hospitals" – excess of Rs.3604.63 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5850.00 lakhs) ; and

(B) "Medical Education, Training & Research" –

(a) "Ayurveda" -

(i) "Quality Control of ASU&H Drugs" – excess of Rs.790.02 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.800.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and receipt of large number of proposals, scheme being flagship scheme.

(ii) "Development and upgradation of AYUSH Institutions/Colleges" – excess of Rs.136.96 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4200.00 lakhs); and

(B) "Other Systems – North Eastern Regional Institute of AYUSH" – excess of Rs.300.00 lakhs (against nil provision).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(III) Under one head excess of Rs.100.00 lakhs occurred constituting 100 percent of the sanctioned provision.